

#1289

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - कपासी)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 1608 दायर दिनांक 09/10/25 निर्णय दिनांक 09/10/25



क्र.म.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट		कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1.	<u>कपासी</u>	<u>7</u>	महोदय जी, निवेदन है कि मुलाधिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसूच राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>कपासी</u> प.ह. <u>कपासी</u> खातासं. <u>7</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरासमद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
वर्तमान प्रविष्टी			—	शुद्ध प्रविष्टी	
स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर			स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया		
हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर पटवारी
<u>कपासी</u>	<u>कपासी</u>	<u>कपासी</u>	<u>कपासी</u>	<u>कपासी</u>	<u>कपासी</u>
हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर पटवारी
<u>कपासी</u>	<u>कपासी</u>	<u>कपासी</u>	<u>कपासी</u>	<u>कपासी</u>	<u>कपासी</u>

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरासमद करें।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला चितौड़गढ

तहसीलदार कपासन (सहस्रिन) तहसील कपासन जिला-चितौड़गढ